<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट नवाबगंज, जनपद बरेली।</u>

परिवाद संख्या–2270/2022

मनमोहन सिंह बनाम नन्हें लाल आदि।

थाना–नवाबगंज, बरेली।

<u>दिनांकः–05.08.2026</u>

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को बहस तलबी के बिन्दु पर सुना जा चुका है।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में मुख्य रूप से अभिकथन किया गया है कि परिवादी की पत्नी अंजली देवी की मृत्यु दिनांक 08.07.2020 को बच्चे को जन्म देते समय गर्भावस्था में हो गयी थी, मृत्यु के समय मृतका की एक पुत्री कु0 शिवानी लगभग 3 साल पहले से थी, पत्नी के मृत्यु के उपरांत लगभग दो वर्ष बाद उसने दूसरा विवाह कर लिया, जिस पर उसके पूर्व ससुरालीजन को आपत्ति हुई एवं दिनांक 03.07.2022 को पंचायत हुई जिसमें पूर्व ससुराल से मिले दहेज के समस्त सामान का मालिक लड़की कु0 शिवानी को माना गया। इसी क्रम में उसके ससुर ने रक्षा बंधन पर दिनांक 11.08.20222 को राखी लेकर बुलाया जब वह ससुराल पहुंचा तो विपक्षीगण ने उसे उसको कमरे में बंधक बना लिया, विरोध करने पर मारपीटा और कहा कि पंचायत की बात नहीं मानेंगे और दहेज में दिया गया सामान वापस चाहिए । वह थाने गया एवं पुलिस अधिकारियों को प्रार्थनापत्र प्रेषित किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। उक्त आधारों पर विपक्षीगण को तलब कर दण्डित जाने की याचना की गयी है।

विपक्षीगण को नोटिस प्रेषित किया गया जिस पर उनकी ओर से आपत्ति दाखिल की गयी है।

परिवादी ने अपने परिवादपत्र के समर्थन में स्वयं को धारा 200 दं0प्र0सं0 एवं साक्षीगण पी0डब्लू0 1 सर्वेश व पी0डब्लू0 2 मैसर खां को धारा 202 दं0प्र0सं0 परीक्षित कराया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत परिवाद में परिवादी द्वारा अपनी पूर्व पत्नी की मृत्यु के उपरांत दूसरा विवाह कर लिया है। विवाद पूर्व पत्नी के स्त्रीधन को लेकर है, इस संबंध में परिवादी द्वारा घटना को बढ़ाचढ़ाकर दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। परिवादी द्वारा मारपीट के संबंध में कोई चिकित्सीय आख्या दाखिल नहीं की गयी है ऐसे में परिवादी के कथनों पर भरोसा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विनिश्चय **Pepsi Foods Ltd and Another vs Special Judicial Magistrate and others (1998) 5 SCC 749** मे यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि दाण्डिक विधि को सामान्य व यांत्रिक तरीके से महज परिवादी द्वारा स्वयं के साक्ष्य व दो अन्य साक्षियों के साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के ही आधार गतिशील नही किया जा सकता। मजिस्ट्रेट इस प्रक्रिया मे एक मूकदर्शक की भूमिका मे नही रह सकता बल्कि उसके द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग कर उपलब्ध मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य एवं अन्य परिस्थितियों का आकलन कर ही ऐसा कोई निर्णय लिया जाना चाहिये।

माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय **Maksud Syed Vs State of Gujrat 2005 (8) SCC 668** व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के विनिश्चय **Muhammed Vs State of U.P Criminal Mis App (u/s 482 Cr PC) No 23239/2016 date of judgement 02.08.2016** मे भी यही विधिक सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है।

एतस्मिनपूर्व की गयी परिचर्चा के आलोक में यह पाया जाता है कि घटना में अतिश्योक्ति का प्रयोग किया गया है। परिवादी द्वारा विपक्षीगण को फंसाने के उद्धेश्य से सही तथ्यों को छुपाकर बढ़ा चढ़ाकर झूठे आरोप लगाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रस्तुत परिवाद में विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के आधार पर्याप्त नहीं है। अतः उक्त परिवाद धारा 203 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत खारिज किये जाने योग्य है। अतः परिवादी का परिवाद उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में परिवाद अंतर्गत धारा 203 द0प्र0सं0 निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा 203 द0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(अरूण गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट नवाबगंज,
बरेली।
J.O.Code- 3520